बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–5781/2024 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 18.04.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्त्ता द्वारा दिनांक 22.05.2024 को समर्पित अभ्यावेदन के सापेक्ष सुनवाई के संबंध में:–

16/07/2024

आदेश

संवेदक संजय कुमार (निबंधन संख्या–1210166) पता–मो0 संकट मोचन नगर, न्यू पुलिस लाईन, आरा, थाना–आरा, जिला–भोजपुर एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा उपस्थित।

प्रस्तुत मामला का संक्षिप्त इतिहास यह है कि ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा के अधीन योजना शीर्ष बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 MR-N/22-23 Ara/40 (Tender ID- 122282) के तहत मकदुमपुर से बिंदगॉवा कोइलवर बबुरा पथ में आमंत्रित निविदा में भाग लिया गया।

उक्त निविदा में संवेदक द्वारा यंत्र–सयंत्र से संबंधित गलत कागजात (प्रमाणक) डाले जाने के कारण मुख्य अभियंता–01 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1438 अनु0 दिनांक 29.05.2023 एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग,, कार्य अंचल, आरा का पत्रांक 403 अनु0 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा संवेदक के निबंधन को काली सूची में डलाने की अनुशंसा की गई।

क्षेत्रीय अभियंताओं से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त संवेदक संवेदक संजय कुमार (निबंधन संख्या–1210166) पता–मो0 संकट मोचन नगर, न्यू पुलिस लाईन, आरा, थाना–आरा, जिला–भोजपुर को विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **3432** दिनांक **30.06.2023** द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

उक्त कालीकृत (Blacklisted) आदेश के विरूद्ध संवेदक संजय कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–5781/2024 संजय कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य दायर किया गया। जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"2. Considering the fact that an alternate remedy has been availed, we were inclined to reject the writ petition under Article 226 of the Constitution of India. However, the learned counsel points out that this is not an efficacious remedy since an appeal was filed on 20.07.2023 and it has not been listed till now.

3. In the above circumstances, we direct the 2nd respondent, the Appellate Authority to dispose of the matter at any rate within three months from the date of receipt of the certified copy of this order after affording an opportunity of hearing to the parties.

4. The writ petition is closed without any observation on the merits which is left to be agitated before the Appellate Authority."

संवेदक संजय कुमार द्वारा उक्त सुनवाई में उपस्थित होकर अपने अभ्यावेदन के माध्यम से बताया गया है कि यंत्र–सयंत्र से सम्बन्धित जो India Scientific Corporation के द्वारा कागजात निर्गत किया गया है, वह दिनांक 20.02.2010 का है, जो पहले Retail Invoice के रूप में समान के आकलन हेतु लिया जाता था। यह Invoice है, जो क्रय से पहले लिया जाता है। India Scientific Corporation के द्वारा जारी Invoice का मूल प्रति सहीं है। लेकिन Retail Invoice का पेपर जो निविदा में दिया गया है वह कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा भूलवश अपलोड कर दिया गया है, जिसे Evaluation में देखने की आवश्यकता नहीं है। निविदा के समय पॉच वर्ष का ही कागजात सहीं माना जाता है।

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, आरा द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि समरूप मामले की जॉच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, आरा के द्वारा की गयी थी। जिसमें उनके पत्रांक 79 दिनांक 29.01.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रमाणक में अंकित आपूर्त्तिकर्त्ता के पते की जॉच की गयी, जिसमें पाया गया कि यंत्र–संयंत्र के रूप में संलग्न India Scientific Corporation से संबंधित कागजात वर्ष 2016 से संबंधित है, जो कि लगभग 08 (आठ) वर्ष पुराना है, जो कि Retail Invoice के रूप में है, जिसका प्रमाणक वर्त्तमान समय में स्पष्ट करना कठिन होगा।

उपर्युक्त के आलोक में प्रमाण में अंकित प्रयोगशाला उपकरणों की भौतिक रूप से जॉच की गयी एवं पाया गया कि अंकित सभी उपकरणों के साथ–साथ अन्य उपकरण भी कार्यकारी स्थिति में है। प्रमाणक के रूप में संलग्न Retail Invoice से संबंधित कागजात निविदा में आवश्यकता नहीं होने के उपरान्त भी अन्य कागजाता के साथ संवेदक द्वारा संलग्न किया हुआ पाया गया। सभी प्रयोगशाला उपकरण इनके पास जॉच में उपलब्ध पाया गया। साक्ष्य स्वरूप Geotag फोटोग्राफ की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

अतएव वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर विभागीय सकारण आदेश ज्ञापांक **3432** दिनांक **30.06.2023** द्वारा 10 (दस) वर्षो के लिए निर्गत कालीकृत (Blacklist) आदेश को निरस्त **(Set aside)** करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

तदनुसार वाद निष्पादित।

बिहार सरकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांकः–14/अ0प्र0–01–69/2024 4213 /पटना, दिनांक 30/7/24

निबंधित

प्रतिलिपिः– संवेदक संजय कुमार (निबंधन संख्या–1210166) पता–मो0 संकट मोचन नगर, न्यू पुलिस लाईन, आरा, थाना–आरा, जिला–भोजपुर, पिन कोर्ड 802301 को सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/2024
(इफ्तेखार अहमद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–69/2024 4213 /पटना, दिनांक– 30/7/24

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/जल संसाधान विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ नगर विकास विभाग/उर्जा विभाग/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–69/2024 4213 /पटना, दिनांक– 30/7/24

प्रतिलिपि– सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–69/2024 4213 /पटना, दिनांक– 30/7/24

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/7/2024
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–14/अ0प्र0–01–69/2024 4213 /पटना, दिनांक– 30/7/24

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/7/2024
सरकार के उप सचिव